

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:-
प्रविष्टि दिनांक:-

26 / 2017
10.02.2017

मुकेश कुमार पुत्र नानकचंद जाति कोली निवासी देवली, तहसील देवली जिला टोंक राज0।

..... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली, जिला-टोंक, राज0।

..... रेस्पोजेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार देवली दि0 30.04.2001
नामान्तरकरण संख्या 349 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली

उपरिस्थित: (1) श्री गजेन्द्र शर्मा, . अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक ओर से रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 19.05.2017

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 328 रकबा 0.52 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि खातेदार नौरती देवी पत्नि नानकचंद जाति कोली के नाम दर्ज थी जिसमें में से रकबा 0.10 हेक्टर भूमि अपीलाण्ट मुकेश कुमार पुत्र नानकचंद कोली निवासी देवली ने नौरती देवी से जरिये विक्रय पत्र दि0 03.02.2001 को क्रय कर ली जिसे प0ह0 देवली ने रकबा 0.10 हेक्टर भूमि को एक नया खसरा नम्बर 3702 / 328 देकर अपीलाण्ट खातेदार के नाम दर्ज कर दिनांक 05.02.2001 को नामांतरकरण स्वीकार किया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए आवेदन करने पर दि0 09.02.2001 को अपीलाण्ट के पक्ष में रकबा 0.10 हेक्टर भूमि ख0नं0 3702 / 328 को औद्योगिक कार्य के लिए संपरिवर्तन का आदेश होने पर पटवारी हल्का ने इसको नया नम्बर 3702 / 328 रकबा 0.10 हे0 भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन होने के बावजूद नामांतरकरण संख्या 349 गैर मुमकिन आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के नाम से भरकर पेश करने पर तहसीलदार देवली ने बिना अपीलाण्ट को बिना नोटिस दिये ही दिनांक 30.04.2001 को नामांतरकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जाकर उसे संशोधित किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

2. न्यायालय हाजा में अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं मूल नामांतरकरण/रेकार्ड तलब किया गया। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार संपरिवर्तन के रकबे को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में से कम करने के लिए ही नामांतरण भरकर कम किया जाना चाहिये था लेकिन गैर मुमकिन आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ के नाम से भर दिया गया। अस्पष्ट एवं अनाधिकृत आदेश की पालना में हल्का पटवारी ने जमाबन्दी समवत 2059-62 के खाता नं० 13 में नामांतरण सं० 349 का नोट अंकित करते हुए सिवायचक नाकाबिल काशत (आबादी) लिखकर नया ख० नं० 3702/328 (कालम नं० 5) लिखकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अनाधिकृत अंकन कर दिया है तथा इसका repetition (पुनरावृत्ति) राजस्व रिकार्ड सिवायचक नाकाबिल काशत लिखा जा रहा है जबकि यह भूमि संपरिवर्तन के बाद सिवायचक नहीं रही है जबकि संपरिवर्तन राशि जमा होने के बाद खातेदार की आबादी भूमि बन गयी है जिसे राजस्व रिकार्ड में कम किया जाना आवश्यक था इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया, उक्त नामांतरण के फलस्वरूप हल्का पटवारी ने भी इस भूमि को जमाबन्दी में सिवायचक का अंकन किया जाना भी अनाधिकृत एवं अवैध है इसलिए मूल नामांतरण आदेश को संशोधित किया जाना न्याय हित में आवश्यक हो गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामांतरण निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से आराजी ख० नं० 328 रकबा 0.10 हेक्टर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो जाने के कारण खसरा नंबर 3702/328 रकबा 0.10 हेक्टर को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से कम किया जाकर कम करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दिये जावे।।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा नामान्तरण संख्या 349 दिनांक 20.04.2001 की अपील समयावधि उपरान्त लगभग 14 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर है। अतः अपील प्रा० पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे समयावधि बाद प्रस्तुत यह अपील देरी से पेश किये जाने पर क्षमा योग्य मानी जावे। जहां तक नामान्तरण संख्या 342 ग्राम पनवाड से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का प्रश्न है, उक्त नामान्तरण तहसीलदार देवली के आदेश की अनुपालना में अंकन सही होने पर पटवारी द्वारा भरा जाकर तथा गिरदावर द्वारा जांच उपरान्त दि० 20.04.2001 को तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना व मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, मूल नामान्तरण सं० 342 ग्राम पनवाड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी खसरा नं० 328 रकबा 0.52 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि में से रकबा 0.10 हेक्टर भूमि गैर मुमकिन औद्योगिक कार्य के लिए संपरिवर्तन का आदेश होने पर पटवारी हल्का ने इसको नया नम्बर 3700/328 लिखकर नामान्तरण सं० 349 गैर मुमकिन आबादी औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन भूमि के नाम से भरकर पेश करने पर तहसीलदार देवली ने दिनांक 20.04.2001 को नामान्तरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी ने जमाबन्दी समवत 2059-62 के खाता नं० 13 में नामांतरण सं० 349 का नोट अंकित करते हुए सिवायचक नाकाबिल काशत (आबादी) लिखकर तथा नया ख० नं० 3700/328 लिखकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी



वतिरिक्त जिला कलेक्टर

1042

टांक

में अनाधिकृत अंकन कर दिया है तथा इसका repetition (पुनरावृत्ति) राजस्व रिकार्ड सिवायचक नाकाबिल काश्त लिखा जा रहा है जबकि यह भूमि संपरिवर्तन के बाद सिवायचक नहीं रही है जबकि संपरिवर्तन राशि जमा होने के बाद खातेदार की आबादी भूमि बन गयी है जिसे राजस्व रिकार्ड में कम किया जाना आवश्यक था, अपीलान्ट के तथ्यों से हम सहमत है। इसी क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र नं0एफ.6(26)राज. 6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अनुसार भी संपरिवर्तन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर में संधारित किया जाना आवश्यक है। परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन आदेश होने के बाद संपरिवर्तन हुई भूमि को खातेदार की खातेदारी की भूमि में से कम कर शेष भूमि का तहसीलदार द्वारा आवश्यक इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए नामांतरकरण खारिज कर तहसीलदार देवली को नवीन परिपत्र अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 349 दिनांक 20.04.2001 वाके ग्राम पनवाड निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि नवीन परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन को निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर में दर्ज करे तथा पेंसिली नोट जमाबन्दी खाते में लगावे एवं तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 19.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (रीज0)